

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2-

संख्या-2/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी.सी.-300-30प्र0अधि-1-2017-आदेश-(369)-2026

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 1347/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.238-उत्तर प्रदेश अधिनियम-1-2017-आदेश-(295)-2023 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 में, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, खंड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(चार) निम्नलिखित माल जिन पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित है, की पूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संगत अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद के अधीन आते हैं:—

सारणी

क्र. सं.	अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न]
3.	2402	सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के अनुकल्प
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू अनुकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी से भिन्न)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन अनुकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, इयूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं;

(ख) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य समझा जाएगा;

(ग) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को पूर्ति से पूर्व, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य को खुदरा विक्रय मूल्य समझा जाएगा;

(घ) जहां किसी विनिर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट माल के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।

(ङ) "टैरिफ मद", "शीर्षक", "उप-शीर्षक" और "अध्याय" का तात्पर्य क्रमशः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय से है;

(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिये नियमावली, जिनमें प्रथम अनुसूची की धारा और अध्याय की टिप्पणियां तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां सम्मिलित हैं, इस खंड के निर्वचन के लिए, जहां तक हो सके, लागू होगी।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Digitally signed by
KAMINI CHAUHAN RATAN

दिनांक: 25-01-2026
(कामिनी चौहान रतन)

14:42:39
प्रमुख सचिव।